

प्रेषक

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में

प्रबन्धक,
इश्वर चन्द इण्टर कालेज,
छपरोला - गौतमबुद्धनगर।

पत्राक/मान्यता(6-8)/691-93/2014-15

दिनांक 30/5/14

विषय - सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जूनियर हाईस्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 912/15-7-11-1(06)/2011 दिनांक 2 जून 2011 के द्वारा इण्टर मीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद विनियमों के अध्याय - सात के विनियम पाँच (18)अ में संशोधन के उपरान्त उप-खण्ड क, ख, ग व घ में हाईस्कूल की नवीन मान्यता 6 से 10 तक दिये जाने की व्यवस्था में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० इलाहाबाद की विज्ञापित दिनांक 26 जुलाई 2011, स०परिषद-9/283 की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रकाशित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 1139/15-7-2011-1(06)/2011 दिनांक 15 जुलाई 2011 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-पाँच 18(अ) के उप-खण्ड घ के पश्चात नवीन विनियम-उ को जोड़े जाने की स्वीकृति अधिनियम की धारा 16(2) के अन्तर्गत प्रदान की गई है के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज, नोएडा (गौतमबुद्धनगर) द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या पृ०स०/मान्यता/47/2014-15 दिनांक 26-05-2014 प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार विद्यालय के पास कक्षा 6 से 8 तक एक-एक अनुभाग संचालित करने के लिए 6X8 सी० के तीन कमरे तथा 6X9 सी० की एक लंबा तथा 6X5 सी० की एक चौकलिक कक्षा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट वर्ग में विद्यालय को प्राप्त मान्यता के मानकों के अतिरिक्त बने हैं। निरीक्षण अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज नोएडा की संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय को हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की मान्यता के साथ विद्यालय को जूनियर हाईस्कूल कक्षा 6 से 8 तक एक-एक अनुभाग के संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जू०हा०स्कूल की स्थाई / अस्थाई मान्यता उक्त विद्यालय को प्राप्त है तो कक्षा संचालन के दिनांक 01-07-2014 से बेसिक शिक्षा परिषद की मान्यता शून्य समझी जायेगी तथा विद्यालय के भवन/प्रांगण में प्राथमिक कक्षाएँ संचालित किया जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा, तथा यदि कोई तथ्य छिपाया पाया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

महोदय

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गौतमबुद्धनगर।

दिनांक उक्तवत

पृ०स०/मान्यता/ /2014-15

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूत्रार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गौतमबुद्धनगर।

Manoj
Ishwar Chand Inter College
Chhaprola Gautam Buddha Nagar

Principal
Ishwar Chand Inter College
Chhaprola Gautam Buddha Nagar